बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन - 2022-23

कार्य योजना - 2023-24

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन-2022-23

कार्य योजना- 2023-24

(नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह)

विषय - सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संदेश	4–5
2	बिहार एक नजर में	6
3	प्रशासनिक ढाँचा	7–9
4	2023–24 का प्रस्तावित बजट उपबंध।	12
5	कल्याणकारी योजनाएँ	13–32

संदेश

राज्य के नागरिकों एवं भू–धारियों को सुविधा प्रदान के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्य में भूमि प्रबंधन के मामले तथा भूमि विवादों के त्वरित एवं निष्पक्ष निष्पादन हेतु अपने महती दायित्वों के अनुरूप कृत संकल्पित है। विशेषकर, डिजिटल इंडिया के तहत प्रायोजित National Land Records Modernisation Programme (NLRMP) योजना अन्तर्गत भू–अभिलखों का अद्यतीकरण तथा डिजिटाईजेशन का कार्य संचालित है। साथ ही, लोकहित से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं के स्थापनार्थ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। वृहत भू–खण्डों का निर्माण तथा कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए जोतों की चंकबदी की कार्रवाई चल रही है। राज्य के वासभूमि रहित महादलित एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी यथा–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I एवं अनुसूची–II) को वासभूमि उपलब्ध कराने तथा आवंटित भूमि से बेदखल होने की स्थिति में दखल दिलाने तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन की दिशा में अग्रसर है।

राज्य में माह अक्टूबर, 2014 से ''ऑपरेशन भूमि दखल देहानी'' अभियान के तहत गैरमजरूआ मालिक, गैरमजरूआ आम, अधिशेष अर्जित भूमि, भूदान की भूमि एवं बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947 (बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट, 1947) के अधीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों/व्यक्तियों को आवंटित एवं बन्दोबस्त भूमि से बेदखली के मामलों को भी सूचीबद्ध कराया जा रहा है तथा बेदखल पाये गये पर्चाधारियों को नियमानुसार दखल दिलाने की कार्रवाई जिला स्तर पर की जा रही है।

राज्य के **महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग–I एवं II) के वासभूमि रहित परिवारों का सर्वेक्षण कर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वास योग्य 5 डी0 भूमि प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने के उदेश्य से ''अभियान बसेरा'' कार्यक्रम नवम्बर 2014 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत महादलित विकास योजना (रैयती भूमि क्रय नीति, 2010), गृह स्थल योजना (रैयती भूमि क्रय नीति, 2011),अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एस0सी0एस0पी0) एवं जनजाति उप योजना (टी0एस0पी0) को शामिल कर लिया गया है। महादलित विकास योजना को लक्ष्य प्राप्ति के साथ समाप्त कर दी गई है।** अभियान बसेरा कार्यक्रम के **अंतर्गत महादलित सहित सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को 5 डी0 सरकारी भूमि अथवा सरकारी भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में रैयती भूमि उपलब्ध करायी जाती है। रैयती भूमि क्रय नीति के अंतर्गत न्यून्तम मूल्याकंन पंजी दर (MVR) पर रैयती भूमि क्रय कर, इन्हें क्लस्टर (यथासंभव 20 परिवार) में बसाने हेतु प्रति परिवार 5 डी0 वास भूमि की दर से, 100 डी0 भूमि वास हेतु तथा इसके अलावे 20 डी0 अतिरिक्त जमीन आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराया जाता है।**

राज्य के सभी–534 अंचलों में ऑनलाइन भूमि दाखिल–खारिज का कार्य संचालित है। कोई भी याचिकाकर्त्ता ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन संबंधित अंचल के विभागीय पोर्टल पर कर सकता है। भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण योजना अंतर्गत रीविजनल सर्वे द्वारा भूमि का अंतिम सर्वे एवं अधिकार अभिलेख

बिहार राज्य एक नजर में

1	प्रमंडलों की संख्या	—	9
2	जिलों की संख्या	—	38
3	अनुमंडलों की संख्या	—	101
4	अंचलों की संख्या	—	534
5	हल्का की संख्या	—	8463
6	राजस्व ग्रामों की संख्या	—	45098

(RoR) के प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण एवं राज्य में भू–सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से विशेष सर्वेक्षण कार्य के निमित्त लगभग 7 हजार विभिन्न श्रेणी के संविदा आधारित पदों पर नियोजन की कार्रवाई करते हुए भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य कराया जा रहा है।

विभाग के कार्यक्रमों एवं नीतियों के सफल एवं त्वरित कार्यान्वयन में पदाधिकारियों के सतत प्रशिक्षण की महत्ता के मद्देनजर अधिकांश अंचल कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए विभाग के स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। शेष अंचल कार्यालयों के लिए संबंधित भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को मास्टर ट्रेनर अधिसूचित करते हुए ऑनलाइन भूमि दाखिल खारिज के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य सौंपा गया है। साथ ही, दाखिल–खारिज की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु स्वतः संज्ञान भूमि दाखिल–खारिज (Suo Motto Land Mutation) के लिए राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से सम्बद्ध करने का कार्य भी विभाग के द्वारा किया चुका है।

राज्यान्तर्गत अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत किए जाने वाले ऑनलाइन एल0पी0सी0 की कार्रवाई में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक मानक एल0पी0सी0 प्रारूप का गठन किया गया है तथा राज्य के सभी अंचल कार्यालय स्तर से ऑनलाइन एल0पी0सी0 निर्गत किया जा रहा है।

ऑनलाइन प्रकाशित डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजियों में कतिपय अशुद्धियों के सुधार की गति में तीव्रता लाने तथा इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसपर भू–धारी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करते हैं तथा दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन किया जाता है।

राज्य के राजस्व पदाधिकारियों / कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शास्त्रीनगर, पटना में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के भवन एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु 60 बेडवाले छात्रावास का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में उपस्कर एवं आधुनिक उपकरण की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

विभाग स्तर पर उपरोक्त कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है तथा समय–समय पर आवश्यक दिशा–निदेश पत्र / परिपत्र के माध्यम से सभी जिला समाहर्त्ताओं को दिया जा रहा है। जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर समय–समय पर विभाग द्वारा समीक्षात्मक बैठक आयोजन किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा भूमि सुधार की दिशा में उठाये गये लोकोपयोगी एवं कल्याणकारी कदम से राज्य के नागरिकों एवं भू–धारियों को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इन सभी जन उपयोगी कार्यक्रम एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य की जनता का पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग तथा भागीदारी अपेक्षित है।

(आलोक कुमार मेहता)

भू-अभिलेख एवं परिमाप

निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय

मुख्यालय
- निदेशक → सहायक निदेशक → प्रशाखा पदाधिकारी → सहायक

क्षेत्रीय
- बंदोबस्त पदाधिकारी → प्रभारी पदाधिकारी → सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी → कानूनगो

बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग
- उप निदेशक
- सहायक निदेशक (प्रावैधिकी)
- सहायक निदेशक (प्रशासन)

राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया
- प्राचार्य → अनुदेशक

चकबंदी निदेशालय

निदेशक

(मुख्यालय)
- संयुक्त निदेशक → उप निदेशक → शोध पदाधिकारी → प्रशाखा पदाधिकारी → सहायक

(क्षेत्रीय)
- संयुक्त निदेशक → उप निदेशक → सहायक निदेशक → चकबंदी पदाधिकारी

प्रशासनिक ढाँचा

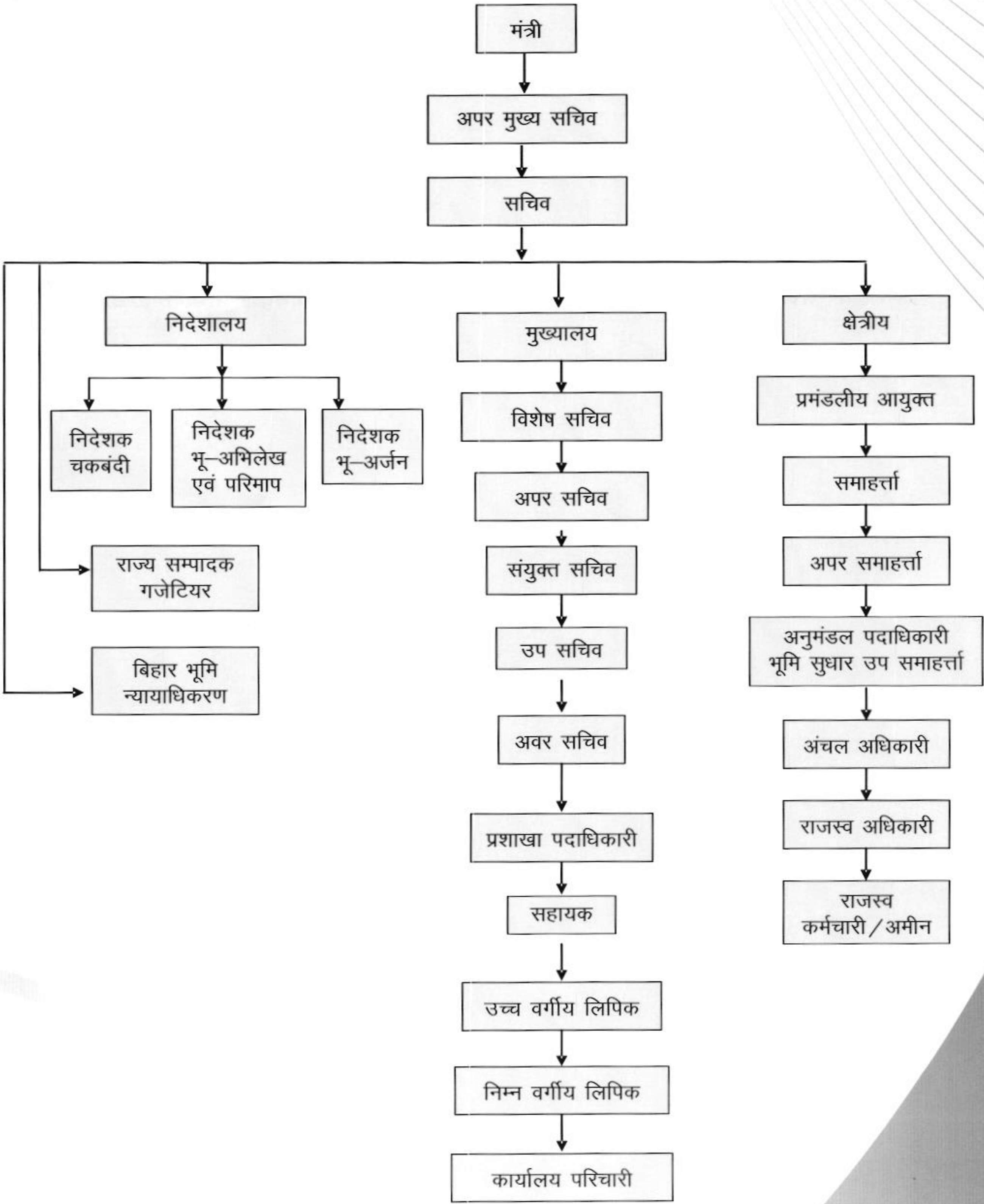
मंत्री
अपर मुख्य सचिव
सचिव
निदेशालय
निदेशक चकबंदी
निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप
निदेशक भू–अर्जन
राज्य सम्पादक गजेटियर
बिहार भूमि न्यायाधिकरण
मुख्यालय
विशेष सचिव
अपर सचिव
संयुक्त सचिव
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदाधिकारी
सहायक
उच्च वर्गीय लिपिक
निम्न वर्गीय लिपिक
कार्यालय परिचारी
क्षेत्रीय
प्रमंडलीय आयुक्त
समाहर्त्ता
अपर समाहर्त्ता
अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
अंचल अधिकारी
राजस्व अधिकारी
राजस्व कर्मचारी / अमीन

चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान

प्राचार्य

↓

अनुदेशक

भू–अर्जन निदेशालय

निदेशक

↓

(मुख्यालय स्तर)

सहायक निदेशक → प्रशाखा पदाधिकारी → सहायक

(क्षेत्रीय स्तर)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी → अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी → कानूनगो

बिहार भूमि न्यायाधिकरण

अध्यक्ष

↓

सदस्य (न्यायिक एवं प्रशासनिक)

↓

निबंधक

↓

अवर सचिव

↓

प्रशाखा पदाधिकारी

↓

सहायक

↓

लिपिक

स्वीकृत पद/रिक्ति

(सचिवालय स्थित मुख्यालय)

क्र0	कोटि/पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत बल की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव	1	1	0	
2	विशेष सचिव/सचिव	1	1	0	
3	निदेशक, चकबंदी निदेशालय	1	1	0	
4	निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय	1	1	0	
5	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	1	0	0	अतिरिक्त प्रभार
6	राज्य सम्पादक, गजेटियर्स	1	0	1	
7	अपर सचिव	1	0	1	
8	संयुक्त सचिव	2	3	0	
9	उप सचिव (B.A.S.)	1	1	0	
10	उप सचिव (B.S.S.)	2	0	2	
11	अवर सचिव	8	0	8	2 संविदा नियोजित
12	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	1	0	1	
13	प्रशाखा पदाधिकारी	23	6	17	6 संविदा नियोजित
14	शोध पदाधिकारी, गजेटियर्स	3	1	2	1 संविदा नियोजित
15	सहायक	92	40	52	2 संविदा नियोजित
16	प्रधान आप्त सचिव	1	0	1	
17	आप्त सचिव	5	3	2	
18	निजी सहायक	7	0	7	
19	सांख्यिकी पदाधिकारी	1	0	1	
20	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	1	0	1	
21	सांख्यिकी सहायक/ अवर सांख्यिकी पदाधिकारी	3	0	3	
22	आशुलिपिक	16	8	8	1 संविदा नियोजित (बेल्ट्रॉन द्वारा)
23	निम्न वर्गीय लिपिक	32	28	4	2 संविदा नियोजित
24	उच्च वर्गीय लिपिक	31	4	27	
25	कार्यालय परिचारी	72	38	34	20 संविदा नियोजित
26	चालक	6	5	1	03 आउटसोर्स बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा नियोजित

स्वीकृत पद/रिक्त

(क्षेत्रीय स्थापना)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	अपर समाहर्त्ता	38	37	01
2	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	38	25	13
3	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता	101	98	03
4	अंचल अधिकारी / प्रभारी अंचल अधिकारी	534	441	93
5	चकबंदी पदाधिकारी	39	18	21
6	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (प्रभारी)	81	49	32
7	राजस्व अधिकारी–सह–कानुनगो, भू–अर्जन / भू–अभिलेख / सहा0 चक0 पदाधिकारी	1597	520	621
8 (i)	राजस्व कर्मचारी (जिला स्तरीय)	8463	6000	2463
(ii)	अमीन (जिला स्तरीय)	1881	114	1767

(नोट :–अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में पदाधिकारियों की कमी के कारण राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष स्तर के कुल–456 पदाधिकारी उक्त पदों पर पदस्थापित है।)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत योजनावार उद्व्यय का कर्णाकण

प्राप्त कुल उद्व्यय– ₹41500.00 लाख **(राशि लाख रुपये में)**

क्र0	योजनाओं के नाम / विपत्र कोड	कुल बजट उपबंध 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए राशि का कर्णाकण
1	2	3	4
1.	जोतों की चकबंदी (40–2029000010102)	3000.00	3000.00
2.	भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं न्यायालय कक्ष / कार्यालय निर्माण की योजना (40–4047000510104)	0.01	0.01
3.	भूमि बैंक योजना (40–4047000500106)	0.00	0.00
4.	सरकारी भूमि की घेराबंदी (03–4059800510119)	100.00	0.01
5.	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय (40–4059800510102)	600.00	100.00
6.	विभागीय मुख्यालय कार्यालय कक्षों / प्रकोष्ठों का आधुनिकीकरण (03–2059010530102)	100.00	200.00
7.	क्षमता वर्द्धन (40–2029000030101)	100.00	150.00
8.	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत गृह विहीनों के लिए वास भूमि (40–4047007960101)	415.00	200.00
9.	बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर, पटना के न्यायालय कक्ष / भवन निर्माण हेतु (03–4059010510124)	0.01	0.01
10.	सम्पर्क सड़क योजना (40–4047000500104)	0.01	0.01
11.	पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के लिए गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय (40–4047000500107)	300.00	200.00
12.	अनुसूचित जातियों के गृह विहीन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय (40–4047007890106)	6640.00	1500.00
13.	बन्दोबस्त कार्यालयों के लिए स्थापना मद में व्यय (40–2029001020101)	26244.97	34949.96
14.	अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन। (03–4059600510114)	800.00	1000.00
15.	राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP) की राज्यांश राशि (40–2029001030306)	2900.00	0.00
16.	सीमा स्तम्भों का परिचालन (40–2029001030106)	300.00	200.00
17.	N.L.R.M.P (CSS) (40–2029001030206)	0.00	
	कुल योग	**41500.00**	**41500.00**

विभागान्तर्गत महत्त्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति

1. <u>अभियान बसेरा कार्यक्रम :–</u>

वास रहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए महादलित विकास योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक–31.03.2016 तक वासरहित सर्वेक्षित सभी 2,40,750 परिवारों को विभिन्न श्रोतों से वास भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। तदोपरान्त सुयोग्य श्रेणी–यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग– अनुसूची–I एवं पिछड़ा वर्ग–अनुसूची–II के सर्वेक्षित कुल–1,16,603 परिवारों में से अभी तक 94,784 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी गयी है। शेष 21,819 वासभूमि रहित परिवारों को वित्तीय वर्ष 2022–23 तक वास भूमि उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

(क) पिछड़े वर्गों के वासहीन परिवारों हेतु गृहस्थल योजना :– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इस योजना के तहत रू0 3,00,00,000/–(तीन करोड़) रूपये मात्र बजटीय उपबंध प्राप्त हैं। प्राप्त बजटीय उपबंध के अन्तर्गत रू0 94,91,000/–(चौरानवे लाख इक्कानवे हजार) रूपये का आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना के तहत् अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षित गृह विहीन परिवारों की संख्या क्रमशः 17875 एवं 9932 है जिसमें से भूमि उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या क्रमशः 14142 एवं 7668 है तथा शेष भूमिहीन परिवारों की संख्या क्रमशः 3733 तथा 2264 है।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एस0सी0एस0पी0):– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इस योजना के तहत रू0 66,40,00,000/–(छियासठ करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र बजटीय उपबंध प्राप्त है। प्राप्त बजटीय उपबंध के अन्तर्गत रू0 2,07,70,000/–(दो करोड़ सात लाख सत्तर हजार) रूपये की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सम्प्रति इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं महादलित के सर्वेक्षित गृह विहीन परिवारों की संख्या क्रमशः 14486 एवं 70049 है जिसमें से भूमि उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या क्रमशः 10888 एवं 58937 है तथा शेष भूमिहीन परिवारों की संख्या क्रमशः 3598 तथा 11112 है।

(ग) जनजाति उप योजना (टी0एस0पी0):– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इस योजना के तहत रू0 4,15,00,000/–(चार करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये मात्र बजटीय उपबंध प्राप्त है। प्राप्त बजटीय उपबंध के अन्तर्गत रू0 1,80,000/–(एक लाख अस्सी हजार) रूपये की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के सर्वेक्षित गृह विहीन परिवारों की संख्या–4261 है जिसमें से भूमि उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या 3149 है तथा शेष भूमिहीन परिवारों की संख्या 1112 है।

2. ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी :–

सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को गैरमजरूआ आम, खास भूमि की बंदोबस्ती कर, वासगीत पर्चा उपलब्ध कराकर, भूहदबंदी के अन्तर्गत अधिशेष भूमि का वितरण कर, रैयती भूमि क्रय कर एवं भूदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त भूमि का प्रमाण पत्र वितरित कर लाभान्वित किया जाता है। पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर बेदखल किये जाने की स्थिति में दखल–कब्जा दिलाने के उद्देश्य से **"ऑपरेशन भूमि दखल देहानी"** कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। पंचायतवार विशेष शिविरों का आयोजन कर बेदखली के मामलों का पता लगाने तथा पुलिस बल की मदद से बेदखल पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक कुल चिन्हित 1,29,116 बेदखल पर्चाधारियों में से कुल 1,08,634 पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाया जा चुका है। शेष पर्चाधारियों को दखल–देहानी सुनिश्चित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

3. ऑनलाईन दाखिल–खारिज :–

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 23, 2011) की धारा–22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली, 2012 (यथा संशोधित 2017) में संशोधन करते हुए नये नियमावली के अध्याय–1 में नियमावली का नाम **''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन नियमावली, 2020)''** कही गयी है जिसके अध्याय–2 में वर्णित नियम एवं उप नियम में कतिपय संशोधन करते हुए दाखिल खारिज को लोक सेवाओं के अधिकार मामले में प्राप्त आवेदनों/याचिकाओं का समयबद्ध सीमा में निष्पादन करने की अधिसूचना 24 सितम्बर, 2020 को निर्गत की गयी है। राज्य के सभी 534 अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल–खारिज याचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है। साथ ही, सभी अंचलों के अधीन लगभग 4,12,00,000/– (चार करोड़ बारह लाख रुपये) सृजित जमाबंदी को डिजिटाईज्ड कर आम लोगों के अवलोकन हेतु विभागीय Website पर अपलोड कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से भू–अभिलेखों के संधारण में पारदर्शिता बढ़ी है एवं अभिलेखों में किसी प्रकार का अनुचित बदलाव अथवा फेरबदल किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही सभी जमाबंदियों में लगान संबंधित अद्यतन विवरणी दर्ज की जा रही है ताकि रैयतों द्वारा ऑन–लाईन माध्यम से लगान भुगतान सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

दाखिल–खारिज की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निबंधन कार्यालयों को Suo Motto Mutation (सुओ मोटो म्युटेशन) हेतु सभी अंचल कार्यालयों के साथ सम्बद्ध किया जा चुका है साथ ही ऑनलाईन दाखिल खारिज आवेदनों के निष्पादन के क्रम में FIFO (First In First Out) प्रक्रिया के अनुपालन की व्यवस्था की गई है।

दाखिल खारिज प्रक्रिया के त्वरित व ससमय निष्पादन हेतु Odd-Even प्रक्रिया की शुरूआत की गई है। सर्वप्रथम पाँच अंचलों यथा–फतुहां (पटना), सबौर (भागलपुर), सिवान सदर (सिवान), ठाकुरगंज (किशनगंज), कल्याणपुर (समस्तीपुर) में पायलट के तौर पर दिनांक–18.01.2023 से इसे प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात् इसे पूरे राज्य में दिनांक–01.03.2023 से लागू किया गया है।

अबतक ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज हेतु 1,00,89,249 (एक करोड़ नवासी हजार दो सौ उनचास) याचिकाएँ दायर की गयी हैं, जिनमें 91,41,364 (इक्यानवे लाख इकतालीस हजार तीन सौ चौसठ) मामलें का निष्पादन कर दिया गया है, जो कुल निष्पादन का 90.61 प्रतिशत है। शेष याचिकाओं के निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।

4. रेखाचित्र भूमि दाखिल खारिज (Spatial Mutation):

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2021 का विधि विभाग बिहार सरकार के द्वारा गजट प्रकाशन दिनांक–17.12.2021 को किया गया है।

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के तहत अंतरित भूमि / भूखण्ड के पूर्ण अथवा अंश भाग के खेसरा संख्या का दाखिल खारिज किया जाता है। वर्तमान संशोधन के पश्चात् दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा–चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) का सत्यापित भाग रैयतों के द्वारा दाखिल खारिज याचिका के साथ संलग्न कर अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी को दाखिल–खारिज की प्रक्रिया संचालित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार के नक्शा में रैयतों द्वारा हित अर्जित करने वाली भूमि का वह अंश जिसे दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, को स्पष्ट रूप से चौहद्दी के साथ रेखांकित किया जायेगा।

इस संशोधन के फलस्वरूप भूमि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

5. ऑनलाईन भू–लगान भुगतान :–

राज्य के सभी 534 अंचलों को ऑनलाईन भू–लगान भुगतान हेतु अधिसूचित किया गया है। पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से लगान का भुगतान रैयतों के द्वारा किया जा रहा है। इससे आम रैयतों को अपने भू–लगान के बकाया की स्थिति जानने, इसके भुगतान की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने एवं भू–लगान का भुगतान करने में सुविधा हो रही है।

इस प्रक्रिया के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक–28.02.2023 तक 50,01,061 भू–लगान रसीद निर्गत किये गये हैं, जिसके तहत कुल संग्रहित राशि ₹1,08,47,97,800 / –(एक अरब आठ करोड़ सैतालीस लाख संतानवे हजार आठ सौ) रूपये भू–लगान के रूप में सरकार को प्राप्त हुई है।

6. परिमार्जन पोर्टल :–

वैश्विक महामारी कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए रैयतों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा एक अभिनव एवं विशेष प्रयास किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन प्रकाशित डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजियों में कतिपय अशुद्धियों यथा–जमाबंदियो में रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान इत्यादि के त्रुटियों के सुधार की गति में तीव्रता लाने तथा इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in/ विकसित किया गया है। इसका शुभारंभ दिनांक–13.05.2020 को विभाग स्तर से किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से भू–धारी/रैयत डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिये ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दर्ज शिकायतों की सम्पूर्ण जाँचोपरांत निर्धारित समय सीमा के अन्दर अंचल कार्यालय द्वारा सुधार किया जा रहा है। दिनांक–28.02.2023 तक कुल प्राप्त 29,57,972 शिकायतों में से 27,99,801 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। अवशेष 1,58,071 निष्पादन की प्रक्रिया में है।

7. ऑनलाईन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र :–

राज्यान्तर्गत अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत किये जाने वाले ऑनलाइन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) की कार्रवाई में पारदर्शिता, गुणवता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में संचालित Banking Sector के उच्चाधिकारियों के साथ विमर्शोपरांत सर्वसम्मति से एक मानक एल0पी0सी0 प्रारूप (Standard LPC Format) का गठन कर सभी अंचलों को ऑनलाईन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) निर्गत करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाईन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) हेतु दिनांक–28.02.2023 तक कुल 7,14,003 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 7,06,707 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।

8. भूमि पर अवभार अभिलेखन से संबंधित पोर्टल :–

राज्यान्तर्गत भूमि पर अवभार (Encumbrances) अभिलेखन से संबंधित पोर्टल का शुभारंभ माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा दिनांक–09.12.2021 को किया गया है। इस पोर्टल के अन्तर्गत राज्य में अवस्थित रैयती भूमि/ भू–खण्ड के विरुद्ध बैंको से लोन/कर्ज लेने पर उक्त बैंको के द्वारा Charge Create किया जायेगा, जिससे यह ऑनलाइन ज्ञात होगा कि उक्त भूमि पर किस प्रकार का लोन/कर्ज है।

9. बिहार भूमि न्यायाधिकरण :–

बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम 2009 (बिहार अधिनियम–09/2009) की धारा–4 (1) के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–8/विविध (पद सृजन)–24–06/11–298(8)/रा0 दिनांक– 02.04.2012 के द्वारा दिनांक– 10.01.2012 के प्रभाव से निम्नलिखित को मिलाकर किया गया है :–

क. अध्यक्ष	1 (एक) पद
ख. प्रशासनिक पक्ष से सदस्य	2 (दो) पद
ग. न्यायिक पक्ष से सदस्य	2 (दो) पद

(क) बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक 16/10/2012 से कार्यशील हुआ है।

(ख) वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री संजय प्रिय, बिहार भूमि न्यायाधिकरण के माननीय अध्यक्ष, श्री अमरेन्द्र पति त्रिपाठी, माननीय सदस्य (न्यायिक–1), श्री रवीन्द्र पटवारी, माननीय सदस्य (न्यायिक–2) के रूप में सितम्बर–अक्टूबर, 2020 से कार्यरत है एवं श्री अशोक कुमार चौहान, माननीय सदस्य (प्रशासनिक) के रूप में अप्रैल, 2022 से कार्यरत हैं। सम्प्रति सदस्य (प्रशासनिक) का एक पद तत्कालीन सदस्य (प्रशासनिक), डॉ0 सी0 आशोकवर्द्धन, नवम्बर, 2022 में कार्यकाल पूर्ण होने के कारण वर्तमान में रिक्त है।

(ग) बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा निष्पादित वादों/आय का विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	वर्ष 2022–23	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
1	जनवरी, 2022 से दिसम्बर 2022 तक	879	685

(घ) जनवरी, 2022 से दिसम्बर 2022 तक रिपोर्टिंग से कुल आय रू0 1,74,187/– (एक लाख चौहत्तर हजार एक सौ सतासी) रूपये मात्र।

(ङ) जनवरी, 2022 से दिसम्बर 2022 तक सर्टीफाईड कॉपी से कुल आय रू0 48,285/–(अड़तालीस हजार दो सौ पचासी) रूपये मात्र।

(च) जनवरी, 2022 से दिसम्बर 2022 तक अभिलेख शाखा के S.A/VAKALATNAMA/C.A/S.C.A/I.A/S.P. and REJOINDER से कुल आय रू0 1,37,154/–(एक लाख सैतीस हजार एक सौ चौवन) रूपये मात्र।

कुल योग– 3,59,626/– (तीन लाख उनसठ हजार छ:सौ छब्बीस) रूपये मात्र।

10. <u>सरकारी भूमि का हस्तान्तरण</u> :–

अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक विभिन्न विभागों/संस्थानों इत्यादि को विभाग द्वारा कुल– 28.1619 एकड़ सरकारी भूमि हस्तान्तरित की गई है।

सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय (नि:शुल्क) हस्तान्तरण की शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त (3.00 एकड़ से 5.00 एकड़ तक) एवं समाहर्त्ता को (3.00 एकड़ तक) प्रत्यायोजित किया गया है, जिसमें अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण के अधिकांश मामले प्रमण्डल एवं जिला स्तर पर निष्पादित किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष, 2022–23 तक विभिन्न विभागों / संस्थानों इत्यादि को हस्तान्तरित की गयी सरकारी भूमि की अद्यतन विवरणी :–

क्र0	जिला का नाम	विभाग को प्राप्त होनेवाले प्रस्ताव	भूमि हस्तान्तरण / कुल रकबा (एकड़ में)	राज्यादेश सं0	कुल भुगतेय राशि	जिस संस्था के लिए हस्तान्तरित की गई	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पश्चिम चम्पारण	प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय, सिंघाव (बगहा–2) के कार्यालय निर्माण हेतु।	5.46	राज्यादेश सं0–1152(6) दि0–21.06.2022 निर्गत।	निःशुल्क	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार	केसरे–हिन्द
2	कटिहार	कटिहार जिला के मनिहारी अंचल के विभिन्न मौजों के अन्तर्गत एन0एच0 ए0 आई0 133B चौड़ीकरण हेतु।	13.90	राज्यादेश सं0–1183(6) दि0–29.06.2022 निर्गत।	निःशुल्क	एन0एच0ए0 आई0, भारत सरकार	गैरमजरूआ आम / गैरमजरूआ खास
3	औरंगाबाद	डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना निर्माण हेतु।	1.7465	राज्यादेश सं0–1172(6) दि0–26.06.2022 निर्गत।	90,57,983 / – (नब्बे लाख सनतावन हजार नौ सौ तेरासी) रू0	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	गैरमजरूआ मालिक
4	औरंगाबाद	ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण हेतु।	6.01	राज्यादेश सं0–1738(6) दि0–12.12.2022 निर्गत।	83,83,950 / – (तेरासी लाख तेरासी हजार नौ सौ पचास) रू0	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना	गैरमजरूआ मालिक
5	औरंगाबाद	डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना निर्माण हेतु।	0.2343	राज्यादेश सं0–1739(6) दि0–21.12.2022 निर्गत।	4,21,474 / – (चार लाख एक्कीस हजार चार सौ चौहत्तर) रू0	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	बकास्त मालिक
6	औरंगाबाद	डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना निर्माण हेतु।	0.1793	राज्यादेश सं0–1740(6) दि0–22.12.2022 निर्गत।	53,75,387 / – (तिरपन लाख पचहत्तर हजार तीन सौ सतासी) रू0	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	गैरमजरूआ मालिक
7	औरंगाबाद	डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना निर्माण हेतु।	0.6318	राज्यादेश सं0–1744(6) दि0–23.12.2022 निर्गत।	1,48,20,155 /– (एक करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार एक सौ पचपन) रू0	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	गैरमजरूआ मालिक
		कुल योग–	**28.1619**				

11. भू–अर्जन :–

भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा RFCTLARR Act–2013, एन0एच0एक्ट, रेलवे एक्ट एवं पी0एम0 पैकेज से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के निमित भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण परियोजना गंगा जल उद्वह योजना हेतु नालंदा / नवादा एवं गया जिला में भू–अर्जन की कार्रवाई की गई है, जो राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य नालंदा, नवादा एवं गया जिले के सुखाग्रस्त क्षेत्र में गंगा नदी के अतिरिक्त जल का समुचित प्रबंधन करते हुए पाईप लाईन के माध्यम से आपूर्ति करना है। उक्त परियोजना को पूर्ण कर नालंदा जिले में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जलापूर्ति का उद्घाटन भी किया जा चुका है।

बिहार की राजधानी पटना के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले आबादी के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तथा यातायात की समस्या के समाधान एवं अत्यावश्यक सेवाओं की निरंतरता को कायम रखने के उद्देश्य एवं मोटर वाहनों के संख्या में गुणोत्तर वृद्धि के परिणाम स्वरूप खतरनाक स्तर पर पहुंच रही पर्यावरण सूचकांक को नियंत्रित कर जनजीवन को सुरक्षित रखने के गुणत्तर दायित्व के तहत् सरकार द्वारा RFCTLARR Act–2013 के तहत पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु कुल–76.645 एकड़ भूमि का अर्जित करते हुए मो0–7,83,27,73,625.00 (सात अरब तेरासी करोड़ सताईस लाख तिहत्तर हजार छः सौ पचीस) रू0 की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

दरभंगा जिलान्तर्गत परियोजना दरभंगा हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु अंचल दरभंगा सदर के मौजा–वासुदेवपुर, थाना नं0–449 में कुल रकवा–52.65 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु RFCTLARR Act–2013 की धारा–11(1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा–19(1) के तहत अधिघोषणा भी निर्गत की गयी है, तथा इस हेतु प्राक्कलित राशि–2,82,16,33,532.00 (दो अरब बेरासी करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार पाँच सौ बत्तीस) रू0 मात्र की स्वीकृति दी गयी है।

गया जिलान्तर्गत अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर परियोजना के तहत इन्डस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (IMC) के निर्माण हेतु कुल रकवा–1113.9295 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु RFCTLARR Act–2013 की धारा–11(1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा–19(1) के तहत अधिघोषणा भी निर्गत की गयी है, तथा इस हेतु प्राक्कलित राशि–1,30,44,25,776.00 (एक अरब तीस करोड़ चौवालीस लाख पचीस हजार सात सौ छिहत्तर) की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त वर्णित परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जिलों में एस0एस0बी0 के बी0ओ0पी0 के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण की कार्रवाई करते हुए एस0एस0बी0 को भूमि पर कब्जा दिलायी जा रही है, साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों एवं अनुमंडलों में व्यवहार न्यायालय एवं आवास हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

12. राजस्व संग्रहण :– राजस्व संग्रहण से संबंधित विवरणी :–

वित्तीय वर्ष	भू–राजस्व वसूली का लक्ष्य (करोड़ रुपये में)	राजस्व की प्राप्ति (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत
2016–17	330.00	719.72	218.00
2017–18	600.00	526.90	87.81
2018–19	1000.00	476.80	47.68
2019–20	1100.00	208.75	18.97
2020–21	500	253.31	50.66
2021–22	500	284.00	56.08
2022–23	**500**	**205.28 माह जनवरी, 2023 तक**	**41.06**

13. सैरात :– सैरातों की बंदोवस्ती से संबंधित विवरणी :–

वित्तीय वर्ष	सैरातों की सं0	बन्दोबस्त सैरातों की सं0	बन्दोबस्त / विभागीय वसूली से प्राप्त राशि (रूपये लाख में)
2015–16	6435	3168	1866.77
2016–17	6214	2598	1976.83
2017–18	5321	1972	1854.73
2018–19	4399	1902	2043.46
2019–20	4508	1691	1965.35
2020–21	421	40	255.61
2021–22	**326**	**113**	**237.09**

14. बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वाधान में मेलों का आयोजन से संबंधित :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि में हाट, बाजार, कचहरी आदि के संरक्षण हेतु कुल उपबंधित राशि–6,95,00,000 / –(छः करोड़ पनचानवे लाख) रूपये है, जिसके विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2023 तक विभिन्न मेलों के आयोजनार्थ संबंधित जिलों में कुल–6,80,07,746 / –(छः करोड अस्सी लाख सात हजार सात सौ छियालीस) रूपये विमुक्त की गयी है।

15. नीलाम–पत्र वाद :–

विषय	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि (राशि करोड़ रुपये में)
नीलाम–पत्र वाद	2015–16	258.72
	2016–17	141.67
	2017–18	143.22
	2018–19	124.16
	2019–20	110.25
	2020–21	408.89
	2021–22	493.42

16. केन्द्रीय योजना Digital India Land Record Modernization Programme (DILRMP) राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम :–

16.1 भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम)

इस योजनान्तर्गत भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण, खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितो की रक्षा की जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 संशोधन 2017 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 संशोधन 2019 में आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत संविदा पद की संख्या	नियोजित पदों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
1	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	275	221
2	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	550	344
3	विशेष सर्वेक्षण अमीन	4950	3455
4	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	550	364
5	अमीन	550	487
कुल योग :–		**6875**	**4871**

राज्य के सभी जिलों में विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य हेतु वर्ष 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राजस्व मानचित्रों तथा खतियान के अद्यतनीकरण हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू–अभिलेख एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP/DILRMP) को चालू रखते हुए वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक 02 वर्ष के लिए योजना के अवधि विस्तार हेतु राज्य योजना मद से **8,80,49,41,000.00 (आठ अरब अस्सी करोड़ उन्चास लाख एकतालीस हजार)** रुपये मात्र के व्यय एवं नियमित तथा संविदा सहित कुल 8802 (नियमित पद–1339, पूर्व से संविदा पद–26 एवं नव सृजित संविदा पद–7463) पदों के अवधि विस्तार/पद सृजन किया गया है। नवसृजित संविदा पदों पर विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नियोजन की कार्रवाई की गई है तथा नवनियोजित कर्मियों का पदस्थापन विभिन्न जिलों में करते हुए बन्दोबस्त कार्य कराया जा रहा है।

नव सृजित संविदा पदों पर निम्न प्रकार नियोजन की कार्रवाई की गई है :–वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर वर्ष–2024 तक सम्पन्न कराने हेतु उपरोक्त स्वीकृत पदों में नियोजन के पश्चात् रिक्त पदों के साथ ही अतिरिक्त कुल 7595 पदों को स्वीकृत करते हुए बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन (संशोधन), नियमावली, 2022 के आलोक में BCECE के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। BCECE को प्रेषित रिक्तियों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	पद का नाम	BCECE को प्रेषित रिक्तियों की सं0
1	**2**	**3**
1	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	355
2	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	758
3	विशेष सर्वेक्षण अमीन	8244
4	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	744
	कुल :–	**10101**

वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशालय को प्राप्त बजटीय उपबंध की विवरणी निम्न प्रकार है :–

			राशि लाख रुपये में
क्र0 सं0	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजटीय उपबंध
1	**2**	**3**	**4**
1	40–2029001020101	सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम	34949.96
2	03–4059600510114	अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार	1000.00
3	40–2029001030106	सीमा स्तम्भों का परिचालन	200.00
		कुल योग :–	**36149.96**

राज्य के सभी जिलों की हवाई फोटोग्राफी पूर्ण कर ली गयी है। राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य ससमय पूरा करने एवं राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारम्भ करने के उद्देश्य से कुल 15010 पदों की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध 10101 पदों पर नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

20 जिलों में कुल 220 अंचलों में उपलब्ध कार्यबल के अनुसार 89 अंचलों के अन्तर्गत 208 विशेष सर्वेक्षण शिविर गठन कर 4964 ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शत प्रतिशत ग्रामों में ग्राम–सीमा सत्यापन एवं किस्तवार का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् 50 प्रतिशत ग्रामों में खानापुरी कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 840 राजस्व ग्रामों में प्रारुप अधिकार अभिलेख तथा 283 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन कर दिया गया है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम में रैयतों को मोबाईल के माध्यम से सहभागिता सुनिश्चित करने एवं पदाधिकारियों को सतत् अनुश्रवण की सुविधा के लिए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा मोबाईल एप **"बिहार सर्वे ट्रैकर"** बनाया गया है।

18 जिलों के शेष अंचलों तथा राज्य के 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त का कार्य अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ किया जाना है। राज्य के सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य नवम्बर, 2024 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

16.2 भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण :–

बिहार राज्य के सभी 38 जिलों यथा दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, जमुई, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, लखीसराय, कैमूर, जहानाबाद, नवादा, शिवहर, गया, पूर्णिया, गोपालगंज, वैशाली (आंशिक), पटना (आंशिक), बेगूसराय (आंशिक), सारण (आंशिक), बेतिया (आंशिक), सुपौल (आंशिक), शेखपुरा (आंशिक), मुंगेर (आंशिक), खगड़िया (आंशिक), सीतामढ़ी

(आंशिक), समस्तीपुर (आंशिक), औरंगाबाद (आंशिक), सिवान (आंशिक), बाँका (आंशिक), मोतीहारी (आंशिक), सहरसा (आंशिक) एवं अरवल (आंशिक) का अद्यतन भू–अभिलेख डाटा विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, जिसे रैयत कहीं भी कभी भी अपनी भूमि का विवरण विभागीय वेबसाईट lrc.bih.nic.in पर देख सकते है। शेष जिलों का अद्यतन डाटा शीघ्र विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का लक्ष्य है।

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु सभी अंचलों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर प्रतिनियुक्त किये गये हैं तथा सभी अंचल कार्यालयों में Internet connectivity की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

16.3 राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन :–

बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के कैडेस्ट्रल मानचित्रों एवं 24 जिलों के रिविजनल मानचित्रों एवं 18 जिलों के चकबंदी मानचित्रों के अतिरिक्त कैडेस्ट्रल म्यूनिशिपल, रिविजनल म्यूनिशिपल, अंचल मानचित्र, सिंचाई मानचित्र एवं जिला मानचित्रों के उपलब्धता के अनुसार कुल 1,35,865 मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्त्तमान में शाहाबाद क्षेत्र के चार जिला यथा–भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर (भभुआ) तथा मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मुशहरी अंचल के कुल 15,782 मानचित्रों का पुनः डिजिटाईजेशन कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 12500 मानचित्रों का डिजिटाईजेंशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से राज्य के सभी जिलों के डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही वर्त्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों के सदर अंचल कार्यालयों से डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति हेतु A0 साईज प्लॉटर की आपूर्ति कराते हुए 34 जिलों के 37 स्थानों से आम रैयतों/भू–धारियों को राज्य के सभी सदर अंचल में अधिष्ठापित प्लॉटरों से राज्य के सभी जिलों के सभी मौजों का डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्र उपलब्ध करायी जा रही है।

शेष 04 जिलों यथा भोजपुर (आरा), बक्सर, रोहतास एवं कैमूर में तकनीकी कारणों से मानचित्र आपूर्ति नहीं हो पा रही है। शीघ्र ही इन जिलों में भी प्लॉटर अधिष्ठापित कराते हुए नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अतिरिक्त बिहार फाउण्डेशन, मुम्बई एवं बिहार भवन, नई दिल्ली में प्लॉटर का अधिष्ठापन किया जा चुका है, जिससे डिजिटाईज्ड मानचित्रों की आपूर्ति की जा रही है।

16.4 राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी :–

कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा मानचित्र केन्द्रों पर भीड़–भाड़ से बचने के उद्देश्य से आम रैयतो/भू–धारियों से ऑनलाईन ऑडर प्राप्त कर उनके घर पर ही राजस्व मानचित्र की डिजिटाईज्ड प्रति उपलब्ध कराने की दिशा में **''डोर स्टेप डिलेवरी''** योजना 06 सितम्बर, 2022 को सभी औपचारिकताएँ पूरी करते हुए प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 8427 आवेदकों को डिजिटाईज्ड मानचित्रों की आपूर्ति की जा चुकी है, जिससे विभाग को अबतक 38.70 लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है।

16.5 राजस्व अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन :–

राजस्व से संबंधित अभिलेखों का संरक्षण एवं संधारण राज्य सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है। राज्य के जिला अभिलेखागारों में संधारित एवं अंचल कार्यालयों में संधारित कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, रिविजनल सर्वे खतियान, चकबन्दी खतियान, जमाबंदी पंजी, दाखिल खारिज पंजी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन का कार्य संरक्षण के उद्देश्य से वाह्यस्त्रोत एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। अब तक लगभग 1.50 करोड़ अभिलेखों का स्कैनिंग कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इन महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य कराते हुए जिला अभिलेखागारों को डिजिटल लाईब्रेरी में परिणत करने की योजना है।

विभिन्न राजस्व अभिलेख यथा– राजस्व मानचित्र एवं चकबंदी अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य तथा जमाबंदी पंजी का डिजिटाईजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित है। शेष महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन कार्य विभिन्न जिलों में प्रारंभ है तथा अगले 02 वर्षों में कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। राज्य योजना अन्तर्गत इस कार्य हेतु कुल 2500.00 लाख रूपये मात्र की योजना स्वीकृत है।

16.6 राजस्व अभिलेखों की डिजीटल हस्ताक्षरित प्रति की ऑनलाईन आपूर्ति :–

राज्य के नागरिकों/रैयतों/किसानों को सुगमतापूर्वक भू–अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न कार्यालयों/अभिलेखागारों में संधारित अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण/डिजिटाईजेशन का कार्य कराया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कम्प्युटरीकृत/डिजिटल रूप में संधारित भू–अभिलेखों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति आम नागरिकों/रैयतों को मामूली शूल्क पर उपलब्ध कराने हेतु **www.bhuabhilekh.bihar.gov.in** Portal तैयार कराया गया है। इसके सफल संचालन हेतु बैंक खाता एवं पेमेंन्ट गेटवे इत्यादि से संबंधन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। इस सुविधा का शुभारंभ दिनांक 22.02.2023 को किया गया है। **www.bhuabhilekh.bihar.gov.in** Portal के माध्यम से आम नागरिकों/रैयतों द्वारा कहीं से कभी भी Online आवेदन करने एवं निर्धारित राशि का भुगतान Online विधि से ही करते हुये पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त आवेदित अभिलेख प्राप्त करने की सुविधा है।

उक्त पोर्टल से कुल 26 प्रकार के दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जाना है, जो निम्न है :–

1.	कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान	2.	रिविजनल सर्वे खतियान	3.	चकबंदी खतियान
4.	जमाबंदी पंजी	5.	दाखिल–खारिज पंजी	6.	बन्दोबस्त भूमि पंजी
7.	म्युनिशिपल सर्वे रिकॉर्ड	8.	गैरमजरूआ आम / खास / कैसरे–ए–हिन्द पंजी	9.	Land Ceiling Settlement Registers
10.	Land Ceiling Record (Finally Adjudicated)	11.	Register Related to Land Purchase	12.	Home stead Parcha Registers
13.	Return Submitted by Ex-Intermediary/Zamindars	14.	Zamindari Compensation Records	15.	Rent Fixation Records
16.	All Records related to Land Acquisition	17.	खास–महाल पंजी	18.	Case Records Started U/S Section-103-106,108 &108A of the Bihar Tenancy Act
19.	Register-D	20.	Cess Fixation Registers (1942)	21.	Touji Roll
22.	भू–सम्पदा पंजी	23.	Records Related to Land Auction before Vesting of Zamindari	24.	सैरात पंजी
25.	Mutation correction slip	26.	Maps		

अबतक कुल 1,55,51,620 दस्तावेजों को स्कैन किया जा चुका है। शेष दस्तावेजों की स्कैनिंग चल रही है।

16.7 Continuous Operating Reference Station (CORS) की स्थापना :

प्रवर्त्तमान में क्रियान्वित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम से प्राप्त अर्थोफोटोग्राफ डाटा के सत्यापन तथा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के स्थल सत्यापन एवं भू–स्थानिक शुद्धता के दृष्टि से राज्य भर में Continuous Operating Reference Station (CORS) के कुल 35 सेन्टर स्थापित करने हेतु कुल **8,30,88,018.00 (आठ करोड़ तीस लाख अठ्ठासी हजार अठ्ठारह) रूपये** मात्र की योजना स्वीकृत कराया गया है। इस सेंटर के स्थापना से विभाग अन्तर्गत ऑनलाईन सेवाएँ यथा–**''ई–मापी''** कार्यक्रम एवं Spatial Mutation इत्यादि के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है।

बिहार राज्य के लिये प्रस्तावित कुल 35 सेन्टरों के स्थापित किये जाने का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार के माध्यम से कराया जा रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा CORS के 35 केन्द्र स्थापित किये जाने संबंधी Locations का चयन एवं सत्यापन भी कर लिया गया है। राज्य भर में Continuous Operating Reference Station (CORS) के कुल 35 सेंटर में से 15 सेंटर पर CORS स्थापित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया। शेष कार्य इसी वित्तीय वर्ष पूर्ण करने की योजना है।

16.8 अंचल अभिलेख भवनों का निर्माण :–

आधुनिक तकनीक से तैयार किये गये भू–अभिलेख डाटा का अंचल स्तर पर संधारण करने के लिए राज्य के सभी अंचलों में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत डाटा केन्द्र– सह–आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण कराया जा रहा है। वर्त्तमान में कुल 534 अंचल कार्यालयों में से 441 अंचलों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 93 अंचलों में भवन निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा करने का लक्ष्य है।

भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने तक शेष 93 अंचल कार्यालयों में डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार स्थापित करने हेतु किराये/भाड़े और भवन उपलब्ध कराते हुए इसे इसी वर्ष कार्यकारी बनाने की योजना है।

उक्त नवनिर्मित डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवनों को कार्यकारी बनाने के लिए आवश्यक उपकरण/उपस्कर इत्यादि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए प्रति अंचल 16.10 लाख की दर से वर्त्तमान परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक उपकरणों एवं उपस्करों का चयन किया गया है। पूर्व में चयनित उपकरणों/उपस्करों की आपूर्ति हेतु अंचलवार निर्धारित दर के आधार पर प्रथम चरण में राज्य के सभी अंचल जहाँ भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उन 441 अंचलों के डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार के क्रिन्यावयन हेतु कुल 7100.1 लाख रूपये संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 93 अंचलों में जहाँ भवन निर्माण कार्य लंबित है, वहाँ किराये के भवन में केन्द्र संचालित करने हेतु किराये पर भवन लेने हेतु निदेशित किया गया है। राशि आवंटित कुल 441 अंचलों में से 293 अंचलों के निर्मित डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार वर्त्तमान में कार्यकारी हो चुका है तथा शेष को शीघ्र ही कार्यकारी करने की कार्रवाई की गई।

अंचल स्तर पर निर्मित डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार के क्रियान्वयन आवश्यक मानवबल/कार्यबल की आपूर्ति के बिना संभव प्रतीत नही होता है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रति अंचल स्तरीय डाटा केन्द्र–सह– आधुनिक अभिलेखागार 04 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (Level-4) का पद स्थाई रूप से सृजित/स्वीकृति पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

तत्काल स्थाई पद पर नियुक्ति तक बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्रत्येक अंचल के लिए 01–01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा प्राप्त की जा चुकी है तथा आधुनिक अभिलेखागार (MRR) में प्रतिनियुक्त किया जा चुका है तथा 02–02 अतिरिक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की गई है।

अंचल स्तर पर निर्मित डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागारों में आधुनिक उपकरणों/उपस्करों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरांत इसे कार्यकारी बनाते हुए अंचल स्तर पर संधारित कम्प्यूटरीकरण अभिलेखों की सत्यापित प्रति आम नागरिकों/रैयतों को उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति हेतु तथा अंचल स्तर पर निर्मित डाटा केन्द्र आधुनिक अभिलेखागार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक SOP (Standard Operating Procedure) तैयार कर जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके अनुसार इसे शीघ्र क्रियान्वित कराने की योजना है। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन सुविधाएँ अन्तर्गत नागरिकों को अभिलेखों की आपूर्ति हेतु DMS Software विकसित कराते हुए कार्यकारी बनाया गया है।

16.9. राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, पटना एवं बोधगया :–

राज्य के राजस्व पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शास्त्रीनगर, पटना में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान का छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही प्रशिक्षण संस्थान हेतु 60 बेडवाले छात्रावास का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में उपस्कर एवं आधुनिक उपकरण की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की कार्रवाई की जा रही है। प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में प्रशिक्षण भवन का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है एवं विस्तारीकरण के उद्देश्य से नये भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्त्तमान में उपलब्ध भवन में

प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण यथा बेड, टेबुल, कुर्सी आदि का क्रय कर लिया गया है। कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त कर इस संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है।

प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया परिसर अन्तर्गत निर्मित विभिन्न भवनों के रख–रखाव कार्य के लिए तथा Hospitality Management के लिए बाह्यस्त्रोत एजेंसी का चयन किया जा चुका है। एजेंसी द्वारा फरवरी, 2023 से कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

वर्ष 2022–23 में राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 546 पदाधिकारियों / कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त इस प्रशिक्षण संस्थान का उपयोग BIPARD द्वारा भी किया जा रहा है तथा लगातार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है। पूर्व में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के नव नियुक्त अमीनों तथा ग्रामीण विकास पदाधिकारियों तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नव नियुक्त राजस्व पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

17. राजस्व कर्मचारी :– (जिला स्तरीय सवंर्ग)

राजस्व कर्मचारी के स्वीकृत पद 8463 में से तत्कालीन रिक्तियाँ 4353 के विरूद्ध प्रथम इन्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2014 के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित कुल–4325 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई सम्पन्न की चुकी है।

18. अमीन :– (जिला स्तरीय सवंर्ग)

अंचल कार्यालयों, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालयों एवं जिला भू–अर्जन कार्यालयों के अमीन के 1767 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु दिनांक–31.01.2023 से 07.02.2023 तक कार्यक्रम बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा निर्धारित है।

पर्षद द्वारा अनुशंसा सूची प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।

19. डाटा इन्ट्री ऑपरेटर :–

राजस्व संबंधी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निमित विभाग अन्तर्गत प्रत्येक अंचल कार्यालयों में तीन–तीन तथा सभी अपर समाहर्त्ता कार्यालयों एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालयों में एक–एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का नियोजन किया गया है।

20. भूदान :–

राज्य में भूदान से प्राप्त भूमि का वितरण एवं आवंटन से संबंधित स्थिति की जाँच हेतु भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग का गठन किया गया है। साथ ही, भूदान यज्ञ समिति के औचित्य के संबंध में जाँच आयोग के सुझाव के आलोक में सरकार का निर्णय होने तक भूदान यज्ञ समिति को विघटित करते हुए विघटन अवधि के लिए समिति में निहित कर्त्तव्य, शक्ति एवं कार्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना में सन्निहित (Vest) कर दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग का कार्यकाल दिनांक–28.02.2023 तक विस्तारित किया गया है। आयोग द्वारा जाँच प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है।

21. भू–हदबंदी :–

भू–हदबंदी के अधीन राज्य में कुल 5,76,239 एकड़ अधिशेष भूमि अर्जित की गयी, जिसमें से 3,25,669 सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के बीच 2,90,188 एकड़ भूमि का वितरण किया गया है एवं अवशेष भूमि वितरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

22. चकबन्दी :–

चकबंदी योजना का प्रारम्भ वर्ष 1958 में राज्य के 9 अंचलों में किया गया था, तथा वर्ष 1970–72 तक राज्य के 27 जिलों के 180 अंचलों के अन्तर्गत 21581 ग्रामों में चकबंदी योजना आच्छादित किया गया। पूर्व में कतिपय कारणों से वर्ष 1992 से 2004 तक चकबंदी कार्य स्थगित रहा। माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के आलोक में चकबंदी का प्रचालन पुनः वर्ष 2004 से प्रारम्भ किया गया। वर्त्तमान में प्रथम चरण में भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर एवं गोपालगंज जिलों के 39 अंचलों में चकबंदी के प्रचालन प्रारम्भ किये गये हैं, जो निम्न प्रकार है :–

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमराँव	1. मोहनियां	1. सासाराम	1. कटैया
2. संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभुआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. इटाढ़ी	3. चाँद	3. नासरीगंज	
4. बिहिया	4. सिमरा	4. भगवानपुर	4. काराकाट	
5. बड़हरा	5. नावानगर	5. दुर्गावती	5. बिक्रमगंज	
6. उदवन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनारी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

चकबंदी योजना अन्तर्गत उपलब्ध कार्यबल के अनुसार चकबंदी के सक्रिय अंचलों में चकबंदी अधिनियम की धारा 10(घ) के अन्तर्गत 120 राजस्व ग्रामों में नए सिरें से कार्य प्रारम्भ किया गया है।

वर्त्तमान में राज्य मे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य किया जा रहा है। इस परिस्थिति में सर्वे कार्य समाप्ति के उपरान्त पुनः चकबंदी कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के तहत 50 राजस्व ग्रामों को अनाधिसूचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अबतक 22 राजस्व ग्रामों को चकबंदी

अधिनियम की धारा 26(क) के तहत अनाधिसूचित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के तहत अनाधिसूचित करने हेतु 50 राजस्व ग्राम का लक्ष्य रखा गया है।

23. कृषि गणना :–

कृषि गणना केन्द्रीय प्रक्षेत्र की शत्–प्रतिशत योजना स्कीम है, जिसके अन्तर्गत ऑपरेशनल होल्डिंग के विभिन्न आकार वर्गों में कृषि अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पहलुओं यथा भू–उपयोग, सिंचाई की स्थिति, फसल प्रतिमान आदि पर आँकड़ा संकलित किये जाते हैं, जो कृषि विकास के निर्माण एवं मूल्यांकन के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

कृषि गणना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो प्रत्येक 5 वर्षों के अन्तराल पर आयोजित किया जाता है। 11वीं कृषि गणना 2021–22 की शुरूआत 28 जुलाई 2022 से प्रारम्भ की जा चुकी है। इससे संबंधित मास्टर ट्रेनर का अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में तथा मास्टर ट्रेनर का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में सम्पन्न कराया गया है।

सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक–05.01.2023 को 11वीं कृषि गणना 2021–22 के सफल क्रियान्वयन हेतु Video Conferencing के माध्यम से हुई बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में प्रथम फेज का कृषि गणना की शुरूआत की सूचना पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, सुपौल एवं शिवहर के अपर समाहर्त्ता द्वारा दी गयी। तत्पश्चात शेष सभी जिलों में गणना कार्य प्रारंभ किया गया। दिनांक–28.02.2023 तक कुल 45866 राजस्व ग्रामों में से 9112 ग्रामों में गणना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 16183 ग्रामों में गणना का कार्य प्रारंभ है, शेष 20571 मौजों में गणना का कार्य मार्च,2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के विपत्र कोड–40–3454010010002 के अधीन कुल उपबंधित राशि–10,22,000/–(दस लाख बाईस हजार रूपये) मात्र तथा उनके विरूद्ध कुल खर्च 3,49,500/–(तीन लाख उन्चास हजार पाँच सौ रूपये) मात्र है तथा विपत्र कोड–40–3454010010402 के अधीन कुल उपबंधित राशि–11,50,000/– (ग्यारह लाख पचास हजार रूपये) मात्र तथा उसके विरूद्ध कुल खर्च–1,41,288/– (एक लाख एकतालीस हजार दो सौ अठासी रूपये) मात्र है।

24. क्षमता वर्द्धन :–

वर्ष 2010–11 के बाद प्रशासनिक सुधार के लिये किये गये उपाय के रूप में राज्य के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में एक अलग कैडर **"बिहार राजस्व सेवा संवर्ग"** का गठन किया गया। उक्त के आलोक में बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) में राज्य के राजस्व प्रशासन के सफल संचालन हेतु राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद, अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं समकक्ष ग्रेड के पद, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद तथा अपर समाहर्त्ता, भू–हदबंदी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों का सृजन/प्रावधान किया गया है।

24.2 बिहार राजस्व सेवा अन्तर्गत मूल कोटि के पद–राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में कुल स्वीकृत बल 1597 है, जिसके विरूद्ध कुल–916 अधिकारी पदस्थापित/कार्यरत थे। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर राजस्व अधिकारी के रिक्त पदों पर

नियुक्ति हेतु प्राप्त कुल 66 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची के आलोक में कुल–60 अभ्यर्थियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्त करते हुए विभिन्न अंचल कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त पद पर सम्प्रति कुल–976 अधिकारी पदस्थापित / कार्यरत हैं। नवनियुक्त राजस्व अधिकारियों के लिए सम्प्रति बिपार्ड, गया में Combined Induction Training संचालित है। अवशेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

24.3 मुख्य शीर्ष 2029, विपत्र कोड–40–2029000030101 क्षमतावर्धन मद में वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए 1.00 (एक करोड़) रूपये मात्र का उपबंध प्राप्त है, जिसके आलोक में विभागीय / क्षेत्रीय पदाधिकारियों / कर्मियों के कौशल में वृद्धि करने एवं राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए क्षमतावर्द्धन राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष–2029 भू–राजस्व, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 003 प्रशिक्षण, उप शीर्ष 0101 क्षमतावर्द्धन विपत्र कोड–40–2029000030101 में 1.50 (एक करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र विभाग द्वारा कर्णांकित किया गया है।

24.4 बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं एवं 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मूल कोटि –राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु क्रमशः 36 एवं 39 रिक्त पदों की अधियाचना आयोग को प्रेषित है।

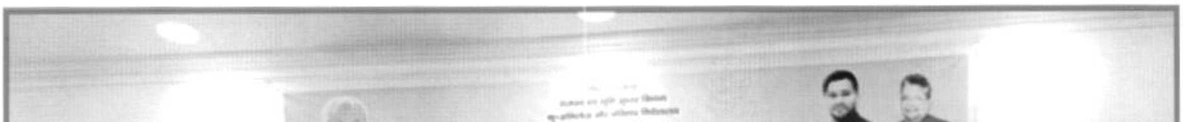

(डिजिटाज्ड राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का शुभारंभ)

★ ★ ★

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार

बिहार सरकार

अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही विभिन्न सेवाओं हेतु निर्धारित समय सीमा

1. दाखिल खारिज

क. 35 कार्यदिवस के भीतर (जिन मामलों में आपत्ति आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं होते हैं।)

ख. 75 कार्यदिवस के भीतर (जिन मामलों में आपत्ति आवेदन–पत्र प्राप्त होते हैं।)

ग. दाखिल खारिज वादों में अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के 30 कार्यदिवस दिनों के अंदर व्यथित, पक्ष द्वारा क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दायर किया जा सकता हैं।

घ. दाखिल खारिज अपील वादों में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा आदेश पारित करने के 30 कार्यदिवस के भीतर समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।

2. अंचल अमीन द्वारा रैयती जमीन की मापी

क. सामान्य स्थिति में आवेदक द्वारा अमीन फीस जमा किये जाने के 60 कार्यदिवस के भीतर।

ख. तत्काल मापी–अमीन फीस जमा किये जाने के 7 कार्यदिवस के भीतर।

ग. भूमि विवाद से उत्पन्न विधि व्यवस्था की समस्या की स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अथवा भूमि सुधार उप–समहर्त्ता से वरीय पदाधिकारी के आदेश से जमीन की मापी बिना अमीन शुल्क जमा कराये तत्काल कराये जाने की व्यवस्था है।

घ. अपील–अंचल अमीन द्वारा मापी से संबंधित समर्पित प्रतिवेदन से व्यथित पक्ष द्वारा अमीन के द्वारा मापी प्रतिवेदन अंचल कार्यालय में जमा किये जाने के 30 कार्यदिवस के भीतर भूमि सुधार उप समहर्त्ता के न्यायलय में अपील दायर किया जा सकता है। भीतर समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।

3. लगान निर्धारण

क. याचिका अंचल कार्यालय में जमा किये जाने के 30 कार्यदिवस के भीतर अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निष्पादनार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

ख. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा 90 कार्यदिवस के भीतर लगान निर्धारण की कारवाई पूर्ण की जायेगी।

ग. अपील–90 कार्यदिवस के भीतर जिला के अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में व्यथित पक्ष द्वारा दायर किया जायेगा।

घ. अपर समाहर्त्ता द्वारा लगान निर्धारण से संबंधित अपील का निष्पादन 90 कार्यदिवस के भीतर किया जायेगा।

ड. प्रत्येक अपील याचिका पर रु0 50 का गैर न्यायिक टिकट चिपकाना जाना आवश्यक होगा।

4. प्रमाण पत्र (अंचल कार्यालय द्वारा)

क. जाति प्रमाण–पत्र –10 कार्यदिवस के भीतर।

ख. आवासीय प्रमाण–पत्र –10 कार्यदिवस के भीतर।

ग. आय प्रमाण–पत्र –10 कार्यदिवस के भीतर।

घ. ओ0बी0सी0 (क्रिमीलेयर रहित प्रमाण – पत्र) – भारत सरकार प्रयोजनार्थ–10 कार्यदिवस के भीतर।

ड. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र) – बिहार सरकार प्रयोजनार्थ–10 कार्यदिवस के भीतर।

च. "तत्काल सेवा" के तहत जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण–पत्र–2 कार्यदिवस के भीतर।

छ. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के सदस्य के नाम निर्गत किये जाने वाले आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र 10 कार्यदिवस के भीतर।

ज. भूमि दखल कब्जा प्रमाण–पत्र (एल॰पी॰सी॰) – 10 कार्यदिवस के भीतर।

नोटः

1. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में आवेदक/आवेदिका के माता/पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को जोड़कर वार्षिक आय का निर्धारण नहीं किया जायेगा।

2. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र निर्गत करने क्रम में जाति, आवास एवं आय प्रमाण–पत्र निर्गत करने की अनिवार्यरता नहीं है, बल्कि क्रिमीलेयर प्रमाण, पत्र सीधे निर्गत किया जायेगा।

5. सरकारी जमीन की बंदोवस्ती

आवेदन पत्र प्राप्त होने के 35 कार्य दिवस के भीतर अंचल स्तर पर अभिलेख संधारित कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / अनुमंडल पदाधिकारी को निष्पादनार्थ भेजा जायेगा।

6. वासगीत पर्चा

आवेदन पत्र प्राप्त होने के 35 कार्यदिवस के अंदर अंचल अधिकारी द्वारा निष्पादन।

7. वेदखली

सरकार द्वारा बंदोवस्त की गयी जमीन, वासगीत पर्चा के द्वारा आवंटित जमीन तथा रैयती

जमीन की क्रय नीति के तहत उपलब्ध करायी गयी जमीन, भूदान प्रमाण–पत्र के माध्यम से आवंटित जमीन से वेदखल किये जाने से संबंधित प्राप्त सूचना/आवेदन पत्र के आलोक में 30 कार्यदिवस के भीतर भूमि के आवंटी को दखल दिलाया जायेगा।

8. बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृत कामगार / शिल्पकार के आश्रितों को लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु आश्रित प्रमाण–पत्र –10 कार्यदिवस के भीतर।

#BiharRevenueLandReformsDept

RevenueBihar BiharRevenue

Printed at : Indian Arts Offset, Basement of S.B.I., Mahendru, Patna - 6
Mob. : 7257887860, 94310 11172, Email : indianartsoffset@yahoo.com